सं0सं0–1/कोर्ट–88/2016– 555 (1)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

दि - 19.05.2017

राज्य के व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के नामांकन हेतु आरक्षण की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–1479(1) दिनांक–26.10.2016 द्वारा निर्देशित है–

2– उक्त प्रावधानानुसार राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में पी0जी0 पाठ्यक्रमों में नामांकन के क्रम में बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, पटना द्वारा सूचित किया गया है कि नामांकन हेतु कराये जा रहे कॉउन्सेलिंग के द्वितीय चरण में MRC के किसी अभ्यर्थी द्वारा बार–बार अपना विकल्प बदलने से एक से अधिक बार सीट उनके Category के लिए चिन्हित करना पड़ रहा है, जबकि एक MRC अभ्यर्थी के लिए उसी Category का एक ही सीट चिन्हित होना चाहिए ताकि आरक्षण प्रतिशत अक्षुण्ण रहे।

3– उक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं–

(i) अगर नामांकन के लिए कुल 100 सीट है एवं इनमें 50 Open merit list (OML) के अभ्यर्थियों में 15 अभ्यर्थी Meritorious Reserved Category (MRC) के हों तो ऐसी स्थिति में 35 सामान्य वर्ग, 15 MRC एवं 50 आरक्षित वर्ग के मेधा सूची के अभ्यर्थियों का नामांकन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) प्रथम कॉन्सेलिंग में MRC के अभ्यर्थी यदि बेहतर विकल्प प्राप्त करने हेतु अपने संगत आरक्षित कोटा में जाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा Open Merit list में छोड़ा गया पद उसी आरक्षित वर्ग विशेष के अन्य उम्मीदवार से भरा जायेगा।

(iii) द्वितीय कॉउन्सेलिंग में भी यदि उम्मीदवारों द्वारा यह प्रक्रिया अपनायी जाती है अर्थात् MRC के अभ्यर्थी यदि बेहतर विकल्प प्राप्त करने हेतु अपने संगत आरक्षित कोटा में जाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा Open Merit list में छोड़ा गया पद Open Merit list के उम्मीदवार से भरा जायेगा तथा आरक्षित वर्ग विशेष के उम्मीदवार द्वारा छोड़ा गया पद संगत आरक्षित कोटि के उम्मीदवार द्वारा भरा जायेगा। यह प्रक्रिया कॉउन्सेलिंग के अंतिम चरण तक अपनायी जायेगी।

(iv) इस प्रक्रिया में इसका अवश्य ध्यान रखा जायेगा कि आरक्षण की सुविधा 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिसीमा तक सीमित रहे तथा बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में) आरक्षण अधिनियम, 2003 (बिहार अधिनियम–16/2003) की धारा–2(3), जिसमें निम्नांकित प्रावधान है, का अनुपालन भी होता रहे–

क्रमशः

आरक्षित कोटि के उम्मीदवार की गणना, जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते हैं, खुली गुणागुण कोटि की 50 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध की जायेगी न कि आरक्षित कोटि की रिक्तियों के विरुद्ध।

(v) प्रथम कॉउन्सेलिंग की राज्य कोटे की वैसी सीट, जो किसी अभ्यर्थी को आवंटित हुआ था, परन्तु उनके द्वारा उस सीट पर नामांकन नहीं लिया गया, ऐसी स्थिति में, अगली कॉउन्सेलिंग में, यह सीट उसी वर्ग के अभ्यर्थी को मिलेगा, जिस वर्ग के लिए प्रथम कॉउन्सेलिंग के समय यह सीट चिन्हित था।

(vi) अखिल भारतीय कोटा से प्राप्त वैसी सीट जो विभिन्न वर्गों के लिए चिन्हित होते हुए अभ्यर्थियों को आवंटित की गई थी, परन्तु उन पर नामांकन नहीं लिया गया ऐसी सीटों पर नामांकन उसी वर्ग के अभ्यर्थी का लिया जायेगा, जिनके लिए यह सीट चिन्हित होते हुए प्राप्त हुआ है, परन्तु ओ0बी0सी0 कोटे को राज्याधीन आरक्षण कोटि के अनुरूप ई0बी0सी0 एवं बी0सी0 के बीच क्रमशः 3 : 2 के आधार पर बाँटा जाएगा।

(vii) अखिल भारतीय कोटा से प्राप्त वैसी सीट जो विभिन्न वर्गों के लिए चिन्हित होते हुए अभ्यर्थियों को आवंटित की गई थी, जिसपर अभ्यर्थी द्वारा नामांकन भी लिया गया, परन्तु बाद में उनके द्वारा छोड़ दिया गया ऐसी सीटों पर नामांकन उसी वर्ग के अभ्यर्थी का लिया जायेगा, जिनके लिए यह सीट चिन्हित था। परन्तु ओ0बी0सी0 कोटे को राज्याधीन आरक्षण कोटि के अनुरूप ई0बी0सी0 एवं बी0सी0 के बीच क्रमशः 3 : 2 के आधार पर बाँटा जाएगा।

(viii) अखिल भारतीय कोटा से प्राप्त वैसी सीट जिनपर अभ्यर्थियों द्वारा अखिल भारतीय कोटा में नामांकन का विकल्प नहीं दिया गया था। ये सीटें कोटिवार प्राप्त नहीं होती है। ऐसी प्राप्त सीटों को बिहार अधिनियम–16/2003 की धारा–2 के अनुरूप खुली गुणागुण कोटि से 50 प्रतिशत तथा आरक्षित कोटि से 50 प्रतिशत के रूप में बाँटते हुए आरक्षित कोटि की 50 प्रतिशत सीट को निम्नवत् बाँटा जायेगा–

(क) अनुसूचित जातियाँ	– 16 प्रतिशत
(ख) अनुसूचित जनजातियाँ	– 1 प्रतिशत
(ग) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	– 18 प्रतिशत
(घ) पिछड़ा वर्ग	– 12 प्रतिशत
(ड़) पिछड़े वर्ग की महिलायें	– 3 प्रतिशत

बिहार अधिनियम–16/2003 की धारा–2 (4) में निहित प्रावधानों के अनुरूप, जो निम्नवत् है, के अनुसार नामांकन की कार्रवाई की जायेगी:–

पिछड़े वर्गों की महिलाओं से अभिप्रेत है सभी आरक्षित वर्ग की महिलायें और इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़े वर्ग की महिलायें सम्मिलित हैं।

क्रमशः

4– यह संकल्प स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के संकल्प सं0–1479(1) दिनांक–26.10.2016 के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

आदेशः– इस स्पष्टीकरण–संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु आगामी राजपत्र में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, पटना सहित सभी संबंधित संस्थानों/महाधिवक्ता एवं सभी संबंधित विभागों को उपलब्ध कराया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

19.5.17

(अनिल कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–1/कोर्ट–88/2016–555(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 19 /05/2017

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, पटना को उनके पत्रांक–614/2017, दिनांक–16.05.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, सभी चिकित्सा महाविद्यालय, बिहार/परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.5.17

सरकार के संयुक्त सचिव